# विहंगावलोकन

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है। अध्याय I में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्य प्रणाली, अध्याय II में दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा दो लेखापरीक्षा अर्थात बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों के वितरण फ्रेन्चाइजी की कार्य निष्पादन की लेखापरीक्षा तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा अध्याय III में सरकारी एवं कम्पनियों के अनुपालन प्रतिवेदन से सम्बन्धित 12 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 316.39 करोड़ का है।

## 1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0 )का क्रियाकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 से अधिशासित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 को, बिहार राज्य में 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 (31 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगमें) तथा 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं। अपनी अन्तिमीकृत अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 12879.76 करोड़ का आवर्त्त प्राप्त किया तथा 30 सितम्बर 2016 तक अपनी अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 599.66 करोड़ की हानि वहन की।

***(कंडिकाएँ 1.1, 1.2, एवं 1.3)***

### *राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश*

31 मार्च 2016 को, राज्य के 74 सा0क्षे0उ0 में ₹ 46693.55 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। यह 277.33 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 के ₹ 12374.75 करोड़ से 2015–16 में ₹ 46693.55 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के कारण था जो 2015–16 में कुल निवेश का 82.63 प्रतिशत था। सरकार ने, 2015–16 के दौरान, ₹ 13791.96 करोड़ अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसहाय्यों के लिए योगदान दिया।

***(कंडिकाएँ 1.6,1.7 एवं 1.8)***

### *अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन*

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 544.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1144.63 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा0क्षे0उ0 में से तीन सा0क्षे0उ0 के लेखाओं में शून्य लाभ/हानि शामिल थे एवं दो सा0क्षे0उ0 ने अभी तक अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये थे।

***(कंडिका 1.16)***

### *लेखाओं की गुणवत्ता*

सा0क्षे0उ0 के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2015 और सितम्बर 2016 के मध्य अन्तिमीकृत 17 कार्यशील कम्पनियों के 39 लेखाओं में से, सभी 39 लेखाओं पर, सांविधिक अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिया। आठ लेखाओं में 26 ऐसे मामले थे जहाँ कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

***(कंडिका 1.21)***

### *लेखाओं का बकाया एवं समापन*

34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, केवल तीन सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2015–16 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 202 लेखाएँ 30 सितम्बर 2016 को एक से 25 वर्षों की अवधि के लिए अन्तिमीकरण को बकाया थे। 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे एवं शेष 35 सा0क्षे0उ0 में 952 लेखाएँ बकाये में थी जिनकी अवधि आठ से 39 वर्षों तक थी। राज्य सरकार ने 17 सा0क्षे0उ0 में ₹ 16,239.49 करोड़ {अंश : ₹ 7,478.86 करोड़ (5 सा0क्षे0उ0), ऋण : ₹ 2,255.78 करोड़ (10 सा0क्षे0उ0), अनुदान : ₹ 1,435.14 करोड़ (9 सा0क्षे0उ0) तथा अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 5,069.71 करोड़ (7 सा0क्षे0उ0)} का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। लेखाओं के अन्तिमीकरण तथा तदोपरांत उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी या नहीं। इस प्रकार, इन सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की जाँच के दायरे से बाहर रहा।

***(कंडिकाएँ 1.10, 1.11 एवं 1.12)***

### *पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन*

दो निगमों के तीन से 32 वर्षों तक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एस0ए0आर0) राज्य विधानमंडल में उपस्थापित नहीं किया गया था। यह वैधानिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है तथा वैधानिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही को भी गौण करता है।

***(कंडिका 1.14)***

### *अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन*

40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, पाँच न्यायालय के द्वारा समापन की प्रक्रिया में थे तथा अन्य पाँच के संबंध में, राज्य सरकार के समापन आदेश के बाद भी समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी।

***(कंडिका 1.20)***

### *लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्त्ती क्रिया*

प्रशासकीय विभागों द्वारा भारत के  के प्रतिवेदन में सम्मलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण इसके विधायिका में प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करना चाहिए। 72 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 13 विभागों की 33 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ जो विगत पाँच वर्षों में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गईं, प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2016)।

***(कंडिका 1.24)***

## 2.1 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1982 में एक पूर्ण स्वामित्ववाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था और वर्तमान में यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनके रख–रखाव, ऊर्जा का उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है।

31 मार्च 2016 को कम्पनी के पास 13 कार्यशील लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (एस0एच0पी0) थीं, जिनकी स्थापित क्षमता 54.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का था एवं 35.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 16 परियोजनाएँ का कार्य प्रगति में था।

एस0एच0पी0 में जल की आपूर्ति जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू0आर0डी0), बिहार सरकार के नहरों से की जाती है। ये नहरें तीन बराजों से जुड़ी हुई है नामतः डेहरी में सोन नदी पर निर्मित इन्द्रपुरी बराज, वाल्मिकी नगर में गंडक नदी पर वाल्मिकी नगर बराज और कटैया में कोसी नदी पर वीरपुर बराज है। इन्द्रपुरी बराज 10 एस0एच0पी0 (17.10 मेगावाट) के जल के आवश्यकता को पूर्ति करता है, और वाल्मिकी नगर और वीरपुर बराज तीन एस0एच0पी0 (37.20 मेगावाट) के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कम्पनी से बिना परामर्श के, डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा सिंचाई के लिए जल छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।

कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में कमी आयी और यह 2011–12 के 40.65 मिलियन युनिट्स (एम0यू0) से घटकर 2015–16 में 33.16 एम0यू0 हो गयी। यह मुख्यतः एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता और डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा कम मात्रा में जल आपूर्ति के कारण था। अग्रतर, ऊर्जा आपूर्ति के वितरण प्रणाली की कमी के कारण पाँच एस0एच0पी0 का ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षे निम्नलिखित थे :

### *कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन*

2011–16 की अवधि के दौरान, ऊर्जा उत्पादन की लागत ₹ 8.13 प्रति इकाई और ₹ 12.36 प्रति इकाई के बीच था। तथापि कम्पनी द्वारा डिस्कॉम को, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) की अनुमोदित दर, ₹ 2.49 प्रति युनिट, पर ही उक्त अवधि में ऊर्जा का विक्रय किया गया था। कम्पनी का विक्रय मूल्य 2015–16 के दौरान डिस्कॉम के ₹ 4.12 प्रति इकाई की औसत ऊर्जा खरीद दर से भी कम था।

इस कारण से, कम्पनी को 2011–16 के दौरान ₹ 5.64 प्रति इकाई से ₹ 9.87 प्रति इकाई के राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी। कम्पनी ने 2011–16 के दौरान 213.14 (एम0यू0) ऊर्जा का विक्रय किया जिस पर कम्पनी को ₹ 147.66 करोड़ की हानि हुई थी। अवधि 2011–16 के दौरान, बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित दर स्थिर रहा क्योंकि कम्पनी 2001–02 से ही वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण 2010–11 से कम्पनी टैरिफ याचिका दाखिल नहीं कर पायी थी। तथापि, कम्पनी की ऊर्जा उत्पादन लागत 2011–16 की अवधि में बढ़ गई थी क्योंकि इसका प्रमुख घटक तत्व, ऋण पर ब्याज लागत 2011–12 में 47.52 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 61.39 प्रतिशत हो गई थी और ऊर्जा उत्पादन में कमी हुई थी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी यदि भविष्य में डिस्कॉम के औसत ऊर्जा खरीद दर के समतुल्य टैरिफ का अनुमोदन बी0ई0आर0सी0 से प्राप्त कर भी लेती है, तब भी उत्पादन लागत की अल्प वसूली की स्थिति बनी रहेगी। इस तरह कम्पनी व्यावसायिक रूप से सफल होने हेतु ब्रेक इवन प्वाइंट की स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी।

कम्पनी में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 570.47 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी ₹ 99.04 करोड़ (17.36 प्रतिशत) और ऋण ₹ 471.43 करोड़ (82.64 प्रतिशत) था। यह इंगित करता है कि कम्पनी ऋण निधि पर पूरी तरह आश्रित था। उक्त अवधि के दौरान कम्पनी को सभी वर्षों में हानि हुई थी जिसके कारण 2015–16 में संचित हानि ₹ 231.50 करोड़ हो गई थी। फलस्वरूप कम्पनी की पूँजी पूर्ण रूप से क्षय हो गई थी। कम्पनी का शुद्ध मूल्य 2011–12 से सभी वर्षों में नकारात्मक (–) ₹ 23.73 करोड़ और (–) ₹ 132.46 करोड़ के बीच थी।

***(कंडिकाएँ 2.1.6 एवं 2.1.7)***

## कम्पनी की परिचालन कुशलता

### *प्लाण्ट लोड फैक्टर*

बी0ई0आर0सी0 के मानक के अनुसार एस0एच0पी0 से 417 (एम0यू0) का ऊर्जा उत्पादन होना था, जबकि 2011–16 के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 213.14 एम0यू0 ही था। ऊर्जा उत्पादन में 203.86 (एम0यू0) (48.89 प्रतिशत) की कमी के कारण ₹ 50.76 करोड़ के राजस्व हानि हुई थी।

2011–12 से 2015–16 के दौरान स्थापित क्षमता के तुलना में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन (प्लान्ट लोड फैक्टर) 11.79 प्रतिशत और 19.56 प्रतिशत के बीच था। तथापि, बी0ई0आर0सी0 के लिए पी0एल0एफ0 का मानक 30 प्रतिशत था। बी0ई0आर0सी0 के मानक अनुसार पी0एल0एफ0 प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण लम्बी अवधि के लिए संयत्र की बंदी के कारण संयंत्र की कम उपलब्धता थी।

नमूना जाँच में पाँच एस0एच0पी0 में पाया गया था कि लम्बी अवधि के लिए संयंत्र के बन्दी का मुख्य कारण (1) एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता/कम मात्रा जो 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपलब्ध घण्टे का 39 से 66 प्रतिशत के बीच था (2) खराब मरम्मत और रख–रखाव के कारण एस0एच0पी0 की बंदी जो उपलब्ध घण्टे का एक से 23 प्रतिशत था, और (3) ऊर्जा के आपूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क की कमी जो 2011–16 की अवधि के दौरान उपलब्ध घण्टे का छः से 18 प्रतिशत के बीच था।

### *संयंत्र उपलब्धता*

कम्पनी की संयंत्र उपलब्धता 35.42 प्रतिशत (2011–12) से 12.65 प्रतिशत (2015–16) के बीच थी। तथापि डी0पी0आर0 के अनुसार संयंत्र उपलब्धता का मानक 67 प्रतिशत था। अल्प संख्या में उपलब्धता का मुख्य कारण जल की अनुपलब्धता/अल्प मात्रा, मशीनों का निम्न मरम्मत और रख–रखाव आदि के कारण दीर्घावधि के लिए संयंत्र की बन्दी था।

***(कंडिका 2.1.10)***

## *पूँजीगत कार्यों का कार्यान्वयन*

आठ परियोजनाएँ/एस0एच0पी0 ₹ 49.92 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध ₹ 102.79 करोड़ व्यय कर पूर्ण की गई थी। इन परियोजनाओं पर ₹ 52.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अन्य परियोजनाओं से निधि का विचलन कर के की गई थी, जो अनियमित था।

इसके अलावा, निर्माणाधीन 16 एस0एच0पी0 और एक स्केप चैनल का कार्य दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से कार्यान्वयन में विलम्ब और कम्पनी के द्वारा वित्तीय बाधाओं का सामना करने के कारण विलम्बित था। इस कारण ₹ 543.87 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यो में अवरुद्ध थी।

उपर्युक्त 17 अपूर्ण परियोजनाएँ, जो दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से निलम्बित थी के कारण न केवल निधि अवरुद्ध हुआ बल्कि परियोजनाओं के असैनिक संरचनाओं के खुले वातावरण के संपर्क में रहने से, उनकी भौतिक स्थिति में भी गिरावट आयी और कार्य पुनः आरम्भ करने के समय, उनके पूर्ण उपयोग पर फिर से अतिरिक्त व्यय होगा। इसके अतिरिक्त, इन अपूर्ण परियोजनाएँ में संयंत्र और मशीनरी स्थापित है और विद्युत यांत्रिक सामग्री जो स्थल/गोदामों में पड़ी हुई थी, वह भी अप्रचलन/नुकसान और चोरी के अभिमुख था। यह इसके आर्थिक उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 के विद्युत–यांत्रिक सामग्री, जिनका मूल्य ₹ 4.50 करोड़ था और जो दिसम्बर 2014 तक आपूर्ति की गई थी, वे स्थल पर दो से चार वर्षों से बिना उपयोग के पड़ी हुई थी और उन पर किया गया व्यय अवरुद्ध और निष्फल था।

***(कंडिकाएँ 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.20 एवं 2.2.21)***

## 2.2 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 21 फरवरी 1978 को बिहार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। कम्पनी सूचना एवं तकनीकी विभाग (डी0आई0टी0), बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। कम्पनी ने, वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान, अपने कार्यों को मुख्यतः बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख–रखाव पर केन्द्रित रखा। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 35 परियोजनाओं (एन0ई0जी0पी0 की पाँच परियोजनाएँ सहित) का क्रियान्वयन किया जिसमें से 28 परियोजनाओं को पूर्ण किया।

कम्पनी के निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न थे :

### *वित्तीय प्रबंधन*

कम्पनी ने आई0टी0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अनुबंधों में केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी0वी0सी0) के मोबिलाइजेशन अग्रिम से संबंधित दिशा–निर्देशों को सम्मिलित करने में विफल रही जिस कारण तीन परियोजनाओं में संवेदको को कुल ₹ 16.64 करोड़ के अनियमित अग्रिम दिये गये।

कम्पनी विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीक (विद्यालयों में आई0सी0टी0) परियोजना के क्रियान्वयन में, अतिरेक परियोजना निधि की राशि ₹ 32.89 करोड़ मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार को समर्पित करने में विफल रही जबकि परियोजना जुलाई 2007 में शुरू और जुलाई 2015 में पूर्ण हो गयी थी।

कम्पनी अपनी निधि को बिना ऑटो स्वीप सुविधा के बचत खाते में रखे रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के ब्याज से होने वाली आय की हानि वहन करनी पड़ी।

***(कंडिकाएँ 2.2.12, 2.2.8 एवं 2.2.10)***

### *परियोजना नियोजन*

कम्पनी का परियोजना हेतु नियोजन निर्माण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें निविदा पूर्व गतिविधियों हेतु समय सीमा नहीं निर्धारित की थी, जिसके फलस्वरूप इसने तीन परियोजनाओं (एस0डी0सी0, एस0एस0डी0जी0 एवं बिस्वान) के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) निर्माण में 30 महीने तथा निविदा के अन्तिमीकरण (एस0डी0सी0 परियोजना) में 22 महीने का समय लिया। इस प्रकार, सौंपी गई परियोजनाएँ काफी विलंबित हो गई क्योंकि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निविदा पूर्व गतिविधियों पर काफी समय व्यतीत किया गया था। इसके अतिरिक्त, डी0आई0टी0 ने भी, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में कहा कि वे कम्पनी द्वारा क्रियान्वित परियोजना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे।

कम्पनी वैधता अवधि में निविदा के अन्तिमीकरण में विफल रही तथा ₹ 2.43 करोड़ मूल्य के आई0टी0 सामग्रियों का क्रय टुकड़ों में किया जो अभी तक (नवम्बर 2016)

अधिष्ठापित नहीं हो सकी थी एवं बेकार पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, इसका आकलन करने हेतु निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, डी0आई0टी0 ने कहा कि इसकी प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि कम्पनी द्वारा परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका।

***(कंडिकाएँ 2.2.14 एवं 2.2.15)***

### *आई0टी0 परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं अन्य गतिविधियाँ*

बिहार वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में बिना निविदा आमंत्रित किये ही ₹ 26.78 करोड़ की तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्य संवेदकों को प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार, कम्पनी ने, सी0वी0सी0 दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सात परियोजनाओं में ₹ 9.08 करोड़ मूल्य के परामर्शी कार्य को परामर्शियों को नामांकन के आधार पर दे दिया था जिसके लिए अभिलेखों में कोई औचित्य/कारण दर्ज नहीं किया गया था।

बिस्वान, ई–पी0डी0एस0, एस0डी0सी0, विद्यालयों में आई0सी0टी0 एवं सी0ए0एल0 परियोजनाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.35 करोड़ मूल्य की हानि/परिहार्य अधिक व्यय हुआ तथा आई0टी0 उपकरण बेकार पड़े रहे।

ई–टेंडरिंग परियोजनाओं में ई–पेमेन्ट सुविधा के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण कम्पनी के कुल ₹ 11.91 करोड़ मूल्य के निविदा प्रक्रिया शुल्क (टी0पी0एफ0) की वसूली अभी तक नहीं हो सकी थी (नवम्बर 2016)।

***(कंडिकाएँ 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.24 एवं 2.2.26)***

### *अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण*

संवेदक द्वारा स्थापित 244 विद्यालयों में से, 16 विद्यालयों में, कम्प्यूटर आधारित शिक्षण (सी0ए0एल0) परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर केन्द्रों का संचालन सभी हार्डवेयरों की चोरी के कारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बी0ई0पी0 (उपयोगकर्त्ता विभाग) ने, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में कहा गया कि उद्देश्यों की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी। बी0ई0पी0 द्वारा यह भी कहा गया था कि उपकरणों की चोरी के मामले का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया गया था तथा इन स्थानों को कम्पनी द्वारा पुनः संचालित नहीं किया गया था।

इस प्रकार निर्मित ₹ 15.09 करोड की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण नवम्बर 2016 तक जिला ई0–गर्वनेंस सोसाईटी को नहीं किया गया था। इस प्रकार अप्रभावी अनुश्रवण के कारण, कम्पनी द्वारा, किये गये व्यय से प्राप्त होने वाले लाभों का प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में डी0आई0टी0 ने कहा कि कम्पनी द्वारा परियोजना का प्रबंधन कुशलतापूर्वक नहीं किया गया था क्योंकि गया जिला के अंतिम स्वीकृति परीक्षण को पूर्ण नहीं किया गया था और परियोजनाओं को भी संचालित नहीं किय गया।

कम्पनी का अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थे और आई0टी0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परामर्शियों पर अति निर्भरता थी। कम्पनी द्वारा अनुबंधों के अनुपालन में विफलता के फलस्वरूप परामर्शियों के भुगतान के मद में ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

***(कंडिकाएँ 2.2.34, 2.2.36 एवं 2.2.31)***

## 2.3 बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों की वितरण फ्रेन्चाइजी के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) का गठन अपनी वितरण प्रणाली के परिचालन एवं वाणिज्यिक कुशलता एवं अपने उपभोक्ताओं के प्रति सेवा में गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किया गया था।कम्पनी ने लोक–निजी सहभागिता द्वारा बिजली वितरण में प्रबन्ध की विशेषज्ञता लाने हेतु परिकल्पना की थी जिसके लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत प्रतिपादित, राज्य के शहरी क्षेत्रों में इनपुट के आधार पर वितरण फ्रेंचाइजी प्रणाली लागू किया। एग्रीगेट टेक्निकल एवं कॉमर्शियल (ए0टी0 एण्ड सी0) हानियों को कम करने, मीटरिंग, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण में सुधार, राजस्व के बकायों को कम करने एवं सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर उपभोक्ता संतुष्टिकरण को बढ़ाना ही वितरण फ्रेन्चाइजियों (डी0एफ0) की नियुक्ति का उद्देश्य था।

वितरण फ्रेंचाइजी के निष्पादन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

### *संचालनात्मक दक्षता*

वितरण फ्रेंचाइजी मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया के संबंध में आधार वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए0टी0 एण्ड सी0) हानि में क्रमशः 58 प्रतिशत से 52.04 प्रतिशत, 68.55 प्रतिशत से 66.95 प्रतिशत तथा 69.24 प्रतिशत से 62.90 प्रतिशत की कमी देखी गयी। हालांकि डी0एफ0, वितरण लाइसेंसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा के अंदर ए0टी0 एण्ड सी0 हानि को रोकने में विफल रहा।

***(कंडिका 2.3.4)***

### *वित्तीय प्रबंध*

वितरण लाइसेंसी (डी0एल0) औसत विपत्रीकरण दर (ए0बी0आर0) को अंतिम रूप देने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप डी0एफ0 द्वारा ₹ 308.92 करोड़ के एकतरफा समायोजन का सामना करना पड़ा। ए0बी0आर0 में कमी मुख्यतः उपभोक्ताओं को 30.67 एम0यू0 के अत्यधिक विपत्रीकरण करने एवं मीटर किराया शामिल नहीं करने के कारण हुआ जो ए0बी0आर0 का एक घटक था। इस प्रकार वितरण फ्रेंचाइजी से ₹ 20.30 करोड़ के ऊर्जा विपत्रों की कम वसूली हुई।

वितरण लाइसेंसी (डी0एल0) द्वारा निगरानी के अभाव का परिणाम वितरण फ्रेंचाइजी (डी0एफ0) द्वारा विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा के संग्रह संबंधी सूचना वितरण लाइसेंसी को देने में विलंब हुआ। इस विफलता के कारण डी0एफ0 ₹ 10.31 करोड़ की संग्रहित राशि, डी0एल0 को भेजने में असफल रहा, जिसके कारण डी0एल0 को ₹ 2.03 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। डी0एफ0 गया एवं भागलपुर ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं से ₹ 26.86 करोड़ का बकाया राशि प्राप्त किया परन्तु उसे डी0एल0 को भेजने में विफल रहा, जिसके कारण कम्पनी को ₹ 7.36 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

***(कंडिकाएँ 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12 एवं 2.3.13)***

### *उपभोक्ता संतुष्टि*

गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में उपभोक्ताओं की असंतुष्टि का कारण गलत/अत्यधिक विपत्रीकरण का होना एवं उपभोक्ता निवारण फोरम की स्थापना में विफलता थी जिसके कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों में मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए डी0एफ0 गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में क्रमशः 19.34 प्रतिशत से 28.67 प्रतिशत, 7.68 प्रतिशत से 33.40 प्रतिशत तथा 11.70 प्रतिशत से 60.62 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। डी0एफ0 गया के 300 उपभोक्ताओं के लाभार्थी सर्वेक्षण में, 280 उपभोक्ता डी0एफ0 द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।

***(कंडिका 2.3.15)***

## 2.4 बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा

बिहार राज्य में छोटे और मंझोले उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से बिहार राज्य वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1954 में राज्य वित्तीय निगम की धारा, (धारा) 1951 के अंतर्गत की गई। इस संस्था की स्थापना आर्थिक उन्नति, समान क्षेत्रीय विकास एवं उद्यमी आधार को बढ़ावा देने के लिए की गई। ऋणों को प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना निगम का प्रमुख कार्य था। तथापि, निगम ने 2002–03 से ही ऋण देना बंद कर दिया था तथा उसके बाद निगम का कार्यकलाप मुख्य रूप से पुराने अतिदेयों की वसूली करना रह गया है।

### *वसूली प्रदर्शन*

निगम द्वारा बकाया वसूली की कुल राशि 31 मार्च 2012 तक 3542.05 करोड़ था (मूलधन ₹ 135.53 करोड़, ब्याज ₹ 3389.52 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.00 करोड़) जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर ₹ 5859.12 करोड़ हो गया (मूलधन ₹ 103.35 करोड़, ब्याज ₹ 5738.60 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.17 करोड़)। बकाया/वसूली योग्य राशि में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज में हुई वृद्धि के कारण थी जो ऋणी के खिलाफ बकाया ऋण उसके मूलधन पर एकत्रित था जिसके खिलाफ केवल न्यूनतम वसूलियाँ ही प्रभावित हो सकी।

निगम द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त पिछले पाँच वर्षो के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया। निगम के परिचालन आय का प्रतिशत कुल आय का 2011–12 में 42.88 प्रतिशत घटकर 2015–16 में 30.74 प्रतिशत हो गया, जो परिचालन एवं अन्य खर्चो को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

निगम की लगभग सभी संपतियाँ (98.10 प्रतिशत), 31 मार्च 2016 को गैर निष्पादन संपत्तियाँ (एन0पी0ए0) थी एवं उनकी प्राप्ति की संभावना बहुत कम/नहीं के बराबर लगती है।

निगम द्वारा प्रारंभ एकमुश्त निपटारा योजना 2014 एवं प्रोत्साहन सह ऋण पुनगर्ठन योजना कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि 31 मार्च 2016 को समाप्त पिछले पाँच वर्ष के दौरान केवल ₹ 5.07 करोड़ (मूलधन ₹ 2.47 करोड़, ब्याज एवं अन्य ₹ 2.60 करोड़) की ही वसूली हो पायी जो बकाया राशि के मुकाबले बहुत कम था।

प्रबंधन के लिए जारी प्रश्नावली के जवाब में प्रबंधन ने बकाया राशि की वसूली में मुख्य बाधाओं के रूप में मानवशक्ति की कमी, ऋणों के मामले काफी पुराने होने, कानूनी कार्यवाही में अत्यधिक विलंब एवं दोषी ऋणी की संपत्ति के क्रय के लिए क्रेता उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया।

***(कंडिकाएँ 2.4.5, 2.4.2, 2.4.4 एवं 2.4.6)***

### *अपर्याप्त मानवशक्ति*

31 मार्च 2016 को निगम के पास अपर्याप्त मानवशक्ति था। निगम के पास अधिकारियों की कार्यरत संख्या केवल सात थी। इन सात अधिकारियों में से चार प्रधान कार्यालय में एवं तीन शाखा कार्यालय में कार्यरत थे। मानवशक्ति की कमी के कारण निगम ने दोषी ऋणियों के संबंध में नीलामवाद दायर करने की प्राथमिकता नहीं दी।

***(कंडिकाएँ 2.4.7 एवं 2.4.8)***

## 3. अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियाँ / प्रेक्षण / आपत्ति

प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन लेखा परीक्षा से संबंधित आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधन में व्याप्त कमियों पर प्रकाश डालते है जिसमें कई वित्तीय अनियमतिताएँ शामिल है।

- संविदा के नियम एवं शर्त्तों, निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन करने में विफल रहने के कारण सात मामले में कुल ₹ 10.98 करोड़ की वसूली नहीं होने के कारण हानि।

***(कंडिकाएँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 एवं 3.12)***

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों के कारण एक मामले में ₹ 35.87 लाख की हानि।

***(कंडिका 3.9)***

- संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण चार मामलों में ₹ 6.42 करोड़ के निधि की हानि / अवरूद्धिकरण।

***(कंडिकाएँ 3.6, 3.8, 3.10 एवं 3.11)***

**महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है :**

**साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** में व्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी एवं टैरिफ प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा अनधिकृत विद्युत उपभोग के कारण ₹ 3.20 करोड़ के राजस्व की हानि।

***(कंडिकाएँ 3.1 एवं 3.2)***

**नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड** द्वारा उपभोक्ताओं के अनुचित वर्गीकरण एवं तद्नुसार विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के राजस्व की हानि।

***(कंडिकाएँ 3.3, 3.4 एवं 3.5)***

**बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड** द्वारा स्वयं के वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता के फलस्वरूप कम्पनी की ₹ 4.19 करोड़ की कार्यशील पूँजी अवरुद्ध रही।

***(कंडिका 3.11)***

**बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड** अनुबन्ध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संवेदक के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ के परिसमापन क्षति की कटौती करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा संवेदक को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

***(कंडिका 3.12)***